जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।

(नजारत अनुभाग)

नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन जनपद न्यायालय सुलतानपुर स्थित दुकानों की नीलामी दिनांक 30.03.2022 को अपरान्ह 4:30 बजे नजारत जनपद न्यायालय परिसर सुलतानपुर में किराये पर नीलामी होने दुकानों की न्यूनतम् बोली एवं धरोहर बोली की सूची निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में नीलामी होने वाली प्रस्तावित दुकानें एक वर्ष के लिए धरोहर राशि एवं न्यूनतम बोली राशि का विवरण

क्र0सं0	स्थल का नाम	प्रयोजन	धरोहर राशि	प्रस्तावित न्यूनतम बोली
1.	कैन्टीन, 12 कक्षीय भवन के सामने- **दुकान सं0- 1**	चाय, काफी, समोसा आदि	10,000/- रुपये	2,00,000/- रुपये
2.	कैन्टीन, 12 कक्षीय भवन के सामने- **दुकान सं0- 2**	फल, जूस, कोल्ड्रिंक आदि	5,000/- रुपये	1,00,000/- रुपये
3.	कैन्टीन, 12 कक्षीय भवन के सामने- **दुकान सं0- 3**	लस्सी व दुग्ध उत्पादक डिब्बा बंद वस्तुएँ	5,000/- रुपये	1,00,000/- रुपये
4.	दुकान फोटो स्टेट स्थित गवाह घर	दस्तावेजों की छायाप्रति	5,000/- रुपये	60,000/- रुपये

उपरोक्त में अंकित धरोहर नगद धनराशि इस जनपद न्यायालय के केन्द्रीय नजारत में नीलामी की नियत तिथि दिनांक 30.03.2022 से पूर्व दिनांक 29.03.2022 तक अपरान्ह 05.00 बजे तक जमा कर उससे सम्बन्धित प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकेगी। प्रतिभूति की धनराशि जमा न करने की स्थिति में तात्कालिक नीलामी की बोली लगाने हेतु अहर्य नहीं होगा।

उपरोक्त दुकानों की नीलामी से सम्बन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी उस पर नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली का अवशेष 75 प्रतिशत की धनराशि दिनांक 31.12.2022 तक तीन किश्तों में तिमाही जमा करना होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली 25 प्रतिशत धनराशि नगद जमा की जायेगी, उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक/ड्राफ्ट एवं बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा। अवशेष नगद, चेक अथवा ड्राफ्ट के जरिए जमा किया जा सकेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि से किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

Intakhab Alam
(इन्तखाब आलम) 14-03-2022
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ-

1. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. अधिशाषी अधिकारी, जिला पंचायत, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को शासनादेश सं0 562/29 2007 1007 74 (टी0सी0) दिनांक 04.07.2007 के अनुक्रम में समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. कार्यालय के नोटिस बोर्ड नजारत पर चस्पा करने एवं रक्षक पत्रावली में अनुरक्षण हेतु।
8. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Intakhab Alam
(इन्तखाब आलम) 14-03-2022
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर/जलपान गृह(कैन्टीन एवं खानपान की दुकान) व फोटोकॉपी की दुकान हेतु ठेके की शर्तें

1. दुकानें "जहाँ है जैसे है", की स्थिति में संचालन के लिये अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिये होगी। दुकानों की नीलमी प्रक्रिया बोली के माध्यम से दिनांक 30.03.2022 को अपरान्ह 4:30 बजे V.C. न्यायालय परिसर सुलतानपुर में प्रारम्भ की जायेगी।

2. दुकानों की नीलामी के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि अखबार में दी गयी सूचना के आधार पर जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नीलामी समिति के आदेश से नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी।

3. नीलामी में भाग हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र व निर्धारित धरोहर धनराशि के साथ जनपद न्यायालय सुलतानपुर के नजारत अनुभाग में उपस्थित होकर दिनांक 29.03.2022 तक अपरान्ह 5:00 बजे तक जनपद न्यायालय सुलतानपुर के नजारत अनुभाग में जमा किया जा सकता है।

4. दुकानें को जिस प्रयोजन हेतु आवंटित किया जायेगा। उनका प्रयोग उसी कार्य के लिये किया जायेगा।

5. बोली में सफल व्यक्ति, दुकानों की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का स्थायी व अस्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही दुकानों की भौतिक स्थिति को नुकसान पहुंचायेगा।

6. नीलामी उपरोक्त स्वीकृत होने के तुरन्त बाद नीलामी स्थल पर नीलामी राशि का 25 प्रतिशत की धनराशि तत्काल जमा करना होगा, जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा यदि उक्त 25 प्रतिशत की धनराशि नीलामी स्थल पर जमा नहीं किया जाता है, तो जमानत के रूप में जमा धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा एवं सम्बन्धित नीलामी निरस्त करके नीलामी के आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जायेगी।

7. नीलामी उपरोक्त की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि दिनांक 31.12.2022 तक तीन बराबर त्रैमासिक किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि नियत अवधि में बकाया धनराशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में जमा की गयी धनराशि को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित की नीलामी निरस्त समझा जायेगा एवं नीलामी आवंटन की कार्यवाही पुनः नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।

8. माननीय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर को नीलामी स्वीकार करने व निरस्त करने एवं नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा।

9. दुकानों में विद्युत उपभोग किये जाने के लिए विद्युत विभाग से स्वयं की विद्युत संयोजन लेकर विद्युत का उपभोग किया जायेगा व उससे सम्बन्धित मासिक किराया प्रत्येक माह में जमा करते हुए रसीद की छायाप्रति केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा।

11.3.22 11/03/22

10. किसी भी स्थिति में दुकानों को खाली करते समय दुकानों के संचालक द्वारा लागये गये उसकी बिजली मीटर को नियमानुसार विद्युत विभाग को समर्पित करते हुये आदेयता प्रमाण पत्र लेते प्रति जनपद न्यायालय सुलतानपुर के नजारत अनुभाग में प्रस्तुत करेगा।

11. अच्छी गुणवत्ता वाले फर्नीचर जैसे टेबल और कुर्सी सेवा प्रदाता द्वारा प्रबन्ध किया जायेगा। उक्त दुकानों के गृह के रख-रखाव का कार्य सेवा प्रदाता द्वारा स्वंय किया जायेगा।

12. सेवा प्रदाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मात्रा और कीमत तथा खान-पान सुविधाओं रख-रखाव और सेवा स्तरों का निरीक्षण करने का अधिकार न्यायालय प्रशासन के पास होगा।

13. सेवा प्रदाता उक्त दुकानों में कोई अवैध अनैतिक या विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेगा अन्यथा अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

14. साफ सफाई करने की स्वयं व्यवस्था की जायेगी। ठेकेदार को रू0 2000/- प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में इस आशय के साथ जमा करना होगा, यदि ठेकेदार सफाई कराने में असमर्थ पाया जाता है तो न्यायालय द्वारा सफाई का कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा जमा प्रतिभूति की धनराशि में रू0 50/- प्रतिदिन की दर से सफाई कर्मचारी को पारिश्रमिक का भुगतान न्यायालय द्वारा कर दिया जायेगा, यदि नीलामी की अवधि में न्यायालय को सफाई कराने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है तो सिक्योरिटी की जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।

15. जलपान गृह में बिक्री की जाने वाली प्रत्येक खाद्य एवं पेय सामग्री गुणवत्ता के साथ निर्मित कर बिक्री की जायेगी। दुकानें प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः से खुलकर सांय 5:00 बजे बन्द होगी।

16. दुकानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं संचालक की होगी तथा जनपद न्यायालय, सुलतानपुर किसी भी दशा में चोरी, सेन्ध आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई भी होती है तो उसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

17. जिस व्यक्ति द्वारा नीलामी उपरोक्त लिया जायेगा उसे अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के जनरल स्टैम्प पर ठेके की सभी शर्तों का एक अनुबन्ध पत्र कब्जा प्राप्त करने की तिथि को निष्पादित करना होगा कि यदि वह दी गयी सभी शर्तों के अन्तर्गत नीलामी चलाने में असमर्थ पाया जाता है तो उसकी नीलामी निरस्त करते हुए कब्जा वापस ले लिया जाये तथा उन परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि भी जब्त किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगा।

18. नीलामी दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 के लिये वैध होगा। ठेकेदार अपना नाम, फोटो स्थायी व पत्र व्यवहार का पता एवं कार्यरत कर्मचारियों के नाम पता मय फोटो कब्जा लेने की तिथि को प्रस्ततु करना अनिवार्य होगा तथा सम्बन्धित दुकानों में किसी प्रकार का कोई फर्नीचर आदि न्यायालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। उसकी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं की जायेगी।

19. ठेकेदार व कार्यरत कर्मचारियों को सभी के साथ अपना व्यवहार विनम्र रखना होगा। यदि उसके व्यवहार में कोई शिकायत माननीय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर एवं प्रभारी

अधिकारी नजारत को की जाती है तो माननीय जिला जज, सुलतानपुर महोदय का निर्णय सम्बन्धित ठेकेदार को मान्य होगा जो कि नीलामी निरस्त की सीमा तक हो सकता है एवं उक्त स्थिति में उसके द्वारा जमा धनराशि को जब्त भी किया जा सकता है।

20. ठेकेदार द्वारा उक्त दुकानों के ठेके को शिकमी किरायेदारी पर देने का अधिकार नहीं होगा, यदि ठेकेदार उक्त नीलामी किसी अन्य व्यक्ति को शिकमी किरायेदारी पर देता है तो उसका नीलामी निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी एवं दुकानों का कब्जा वापस ले लिया जायेगा।

21. ठेकेदार नीलामी चलाने के लिये किसी अवांछनीय अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित नियुक्त कोई व्यक्ति को इस न्यायालय के अधिकारियों द्वारा अपने व्यवहार या अन्य किसी कारण से अवांछनीय पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तात्कालिक प्रभाव से सम्बन्धित ठेकेदार को हटाना होगा।

22. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त दुकानों में भविष्य में अग्निकाण्ड जैसी होने वाली अप्रत्याशित घटना की दृष्टि से उसमें सुरक्षा हेतु अग्निशमन यन्त्रों को अपने व्यय पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

23. ठेकेदार किसी बालक को बतौर श्रमिक कार्य अथवा मजदूरी हेतु नही रखेगा।

24. यदि ठेकेदार द्वारा दी गयी शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ठेकेदार का नीलामी निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है एवं ठेके का कब्जा वापस लिया जा सकता है।

11/3/22	11-03-22	
(अभय श्रीवास्तव)	(पवन कुमार शर्मा)	(इन्तेखाब आलम) 11-03-22
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 4, सुलतानपुर	कक्ष सं0 12, सुलतानपुर	कक्ष सं0 2, सुलतानपुर

दिनांक: 11 .03.2022